प्रेस नोट
दिनांक 01.02.2024

थाना परसपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला–फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में गठित थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0–486/23, धारा 363,376डी0ए0 भादवि व 5जी/6 पॉक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अंकुर सिंह उर्फ मंजीत सिंह को शाहपुर बस स्टाप के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 13.12.2023 को थाना परसपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना परसपुर में सूचना दी गयी कि प्रार्थी की नाबालिग लड़की को विपक्षी अन्तिम सिंह द्वारा बहला–फुसलाकर कर भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर थाना परसपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना थानाध्यक्ष परसपुर शेषमणि पाण्डेय द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 01.02.2024 को कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत शाहपुर बस स्टाप के पास बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता द्वारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयान के उपरांत धारा 376(डी0ए0) की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अंकुर सिंह उर्फ मंजीत सिंह पुत्र कप्तान सिंह नि0 ग्राम रेक्सड़िया डीहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान–

शाहपुर बस स्टाप के पास से।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–486/2023, धारा 363,376डी0ए0 भादवि व 5जी/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. थानाध्यक्ष परसपुर शेषमणि पाण्डेय।
02. का0 उपेन्द्र रावत।
03. का0 अमित कनौजिया।

प्रेस नोट
दिनांक 01.02.2024, थाना मनकापुर
जनपद गोण्डा।

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–515/23, धारा 305,504,506 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त दीपक निषाद को टिकरी चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 09.12.2023 को थाना वजीरगंज क्षेत्र के ग्राम केवटहिया सुदामापुर टिकरी के रहने वाले सीताराम निषाद द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित सूचना दी गयी थी कि उनकी नातिन को विपक्षीगणों द्वारा भद्दी–भद्दी गालियां दी गयी थी। जिससे आत्मग्लानि के चलते मेरी नातिन द्वारा आत्महत्या कर ली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 01.02.2024 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत उक्त अभियुक्त को टिकरी चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. दीपक निषाद पुत्र रामकुमार निषाद नि0 ग्राम बीरापुर दर्जीपुरवा मौजा बहादुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–515/23, धारा 305,504,506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 रामधारी दिनकर।
02. हे0का0 स्वामीनाथ गौतम।
03. का0 शत्रुधन।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 01.02.2024,

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–
जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–05 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–
गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>निरीक्षण प्रेस नोट–</u>
<u>दिनांक 01.02.2023</u>

दिनांक 25.01.2024 को रेलवे ट्रैक गोण्डा में अंकित तिवारी पुत्र अनिल तिवारी नि0 अचलपुर मोतीगंज जनपद गोण्डा का शव प्राप्त हुआ था जो कि नारायणा अस्पताल सर्कुलर रोड गोण्डा में काम करता था। प्राप्त सूचना पर जी0आर0पी0 गोण्डा द्वारा मौके पर पहुॅचकर पंचायतनामा भर कर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जी0आर0पी0 पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना को0 नगर स्थानांतरित की गयी है। आज दिनांक 01.02.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा स्वयं घटना स्थल(रेलवे ट्रैक) पर पहुॅचकर निरीक्षण किया गया व घटना के सफल अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में 03 टीमों का गठन किया गया है तथा एस0ओ0जी0 सर्विलांस टीम को भी घटना के अनावरण हेतु लगाया गया है।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 01.02.2024

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कार्यवाहीः–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0–26/24, धारा 376(2)एन,376डी0,506,504 भादवि व $5^{एल}$/$5^{जी}$/6 पॉक्सो ऐक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मन्नू यादव को धौरहराघाट बन्धा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 16.01.2024 को थाना तरबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी की विपक्षी द्वारा उसकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना तरबगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना अति प्र0नि0 अरविन्द कुमार थाना तरबगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त मन्नू यादव को आज दिनांक 01.02.2024 को कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत धौरहराघाट बन्धा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. मन्नू यादव पुत्र केराए लाल उर्फ सदानन्द यादव नि0 रमचेरापुर अहिरनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान–
धौरहराघाट बन्धा के पास से

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–26/24, धारा 376(2)एन,376डी0,506,504 भादवि व $5^{एल}$/$5^{जी}$/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. अति प्र0नि0 अरविन्द कुमार थाना तरबगंज।
02. का0 धर्मेन्द्र कुमार गौड़।